न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2021-230RAAJodhpur2021-116RTA225 Smt. Seeta ors Vs Sunil etc

01. श्रीमती सीता पत्नी स्व. श्री हापुराम
02. किशनाराम उर्फ किशन माहवर पुत्र स्व. श्री हापुराम जातियान् कुम्हार, निवासीगण– गांव पटेल नगर, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. सुनील पुत्र श्री किशनाराम
02. बनवारी पुत्र श्री किशनाराम
03. पूजा पुत्री श्री किशनाराम
    रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमती बेबीदेवी पत्नी किशनाराम जातियान् कुमार निवासीयान् पटेल नगर, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
04. शाखा प्रबंधक यूको बैंक शाखा हरियाढाणा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
05. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 01 मार्च 2021 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 16/2021 सुनील व अन्य बनाम किशनाराम इत्यादि

उपस्थित–

श्री स्वरूपराम बामणियॉ, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 1 से 3
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 05

नि र्ण य

दिनांक : 16 दिसंबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 16/2021 अनवान सुनील व अन्य बनाम किशनाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 01 मार्च 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 12 जुलाई 2021 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या एक से तीन ने जरिये कुदरती वली माता बेबीदेवी पत्नी किशनाराम के जरिये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1602 रकबा 04.10 बीघा, खसरा नं. 1614/1 रकबा 1.16 बीघा, खसरा नं. 1874/1 रकबा 5.10 बीघा, खसरा नं. 1936/3 रकबा 8.05 बीघा, खसरा नं. 1938 रकबा 6 बीघा, खसरा नं. 1942/3 रकबा 5.10 बीघा ग्राम पटेल नगर तहसील बिलाड़ा के संबंध धारा 88, 53 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 01 मार्च 2021 के जरिये प्रार्थना पत्र अंतरिम रूप से स्वीकार कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट संख्या एक व दो अपने पिता/पति से उतराधिकार में मिली है, जिस पर अपीलांट्स का स्वामित्व है। अपीलांट्स के जीवनकाल में रेस्पोडेंट्स वादग्रस्त आराजी के विभाजन की मांग नहीं कर सकते है। रेस्पोडेंट्स द्वारा स्व. हापुराम की जायंदा पुत्रियों को मामले में पक्षकार संयोजित किये बिना वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुने बिना एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किया गया हैं। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट्स के पक्ष में है। अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि में कमरे का निर्माण करवाया जा रहा है जो अपीलाधीन आदेश के प्रभाव से पूर्ण नहीं हो पाया है, इसलिए अपीलाधीन आदेश अपास्त एवं निरस्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय पारित किया गया है। तत्पश्चात कोविड–19 महामारी के प्रकोप के चलते जारी राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण अपीलांट्स समय पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील प्रस्तुत नहीं कर सके। अपीलांट्स द्वारा उक्त देरी जानबूझ कर अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं की गई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमायी जाकर अपील गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 01 मार्च 2021 को खारिज फरमाया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से तीन ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट्स द्वारा चाहा गया अनुतोष अदालत हाजा द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 14 जुलाई 2021 के जरिये प्रदान किया जा चुका है तथा अपीलांट्स का मकान वर्तमान में पूर्ण रूप से निर्मित हो चुका है। यह भी अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध पेश की गई जो कानूनन पोषणीय नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे एवं अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश से पाबंद फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 के अंतिम निस्तारण हेतु मामला विचारण न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, कोविड–19 महामारी के प्रकोप के उत्पन्न परिस्थितियों के कारण अपीलांट्स अपील समय पर प्रस्तुत नहीं कर पाये। लिहाजा न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट गुणावगुण निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील में अपने निर्माणाधीन आवास को पूर्ण किये जाने का अनुतोष चाहा गया है जो अदालत हाजा द्वारा आदेश दिनांक 14 जुलाई 2021 के जरिये प्रदान किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा चाहा गया त्वरित वांछित अनुतोष प्रदान किया जा चुका है,। यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। लिहाजा खसरा नं. 1942/3 रकबा 5.10 बीघा में अपीलांट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के निहितांश में निर्माणाधीन आवास के निर्माण की छूट जारी रखते हुए मामले के अंतिम निस्तारण हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना अदालत हाजा की राय में न्यायोचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स को नं. 1942/3 रकबा 5.10 बीघा में अपने निहितांश में निर्माणाधीन आवास के निर्माण की छूट जारी रखते हुए मामला अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए युक्तियुक्त अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर